(वाद सं0.–3675/19)

07.07.2020

परिवादी, उमाकान्त चौधरी के पुत्र शिव कुमार गौतम उपस्थित है।

परिवादी के पुत्र को सुना।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसके गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद भी, बछवाड़ा थाना की पुलिस द्वारा, एक दिन बाद ही, गिरफ्तार कर जेल भेजने तथा थाना के द्वारा उसका केस दर्ज नहीं करने से संबंधित है।

परिवादी के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.04.2019 को पारित आदेश की जानकारी के अभाव में पुलिस द्वारा परिवादी को दिनांक 13.04.2019 को गिरफ्तार किया गया। स्वयं परिवादी द्वारा भी पुलिस को माननीय उच्च न्यायालय के आदेष की प्रति नहीं दिखलाई गई, जिसका परिवादी प्रतिवाद करते है। अगर थोड़ी देर के लिए परिवादी के प्रतिवाद को ही सत्य मान लिया जाय तो अगर परिवादी के पास उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध थी तो उसने remand करते समय **मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय** को उसकी प्रति क्यों नहीं दिखाई। अगर परिवादी माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति अपने remand के समय न्यायालय मे दिखा देता तो न्यायालय द्वारा उसको remand ही नहीं किया जाता लेकिन परिवादी के माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश की न्यायालय को भी जानकारी नहीं रहने के कारण उसे अनावश्यक रूप से करीब दो दिन कारा मे रहना पड़ा तथा बाद मे उसे जमानत पर मुक्त किया गया।

अतः उक्त परिस्थिति मे यह प्रतीत होता है कि स्वयं परिवादी के लोप/लापरवाही के कारण उसे न्यायिक अभिरक्षा मे रहना पड़ा है।

अतः **पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी मे ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को आज पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक